

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 94] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 30, 1981/वैशाख 10, 1903
No. 94] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 1981/VAISAKHA 10, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1981

संख्या एक. 3/5/81-एन.एस.—केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह अधि-
सूचित करती है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की
विभांक 24 अप्रैल, 1981 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 309(अ) तथा
सा. का. नि. 310(अ) की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी किए
गए छः वषीय राष्ट्रीय बजट पत्र, छठा निर्गम और सातवां निर्गम, मानकीकृत

अभिकरण प्रणाली के अंतर्गत नियुक्त किए गए प्राधिकृत अभिकर्ताओं के माध्यम से पहली मई, 1981 से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। प्राधिकृत अभिकर्ताओं को, उनके साथ तय की गई शर्तों के आधार पर उपलब्ध कराए गए उपयोग्य बचत-पत्रों की बिक्री पर 2(दो) प्रतिशत की दर से कमीशन दी जाएगी।

अखिलेश चन्द्र तिवारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 1981

No. F. 3/5/81-NS.—The Central Government hereby notifies that with effect from the 1st May, 1981, the Six-year National Savings Certificates—VI Issue and VII Issue, issued by the Government of India in terms of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification Nos. GSR 309(E) and GSR 310(E) both dated the 24th April, 1981 will be available for sale through Authorised Agents appointed under the Standardised Agency System. The Authorised Agents will be paid commission at the rate of 2(two) per cent on the sales of the aforesaid certificates made through them under the terms of agreements executed by them.

A. C. TIWARI, Jt. Secy.